



विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushakti Nagar,
मुंबई/Mumbai: 400 094

DPS/CAmU/Estt/PF-69/1420

दिनांक / Date: 02/03 /2022

परिपत्र / NOTICE

पेंशन अदालत/PENSION ADALAT

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 10.01.2022 के अर्धसरकारी पत्र संख्या 1/39/2021-P&PSW(E) एवं पऊवि के 07.02.2022 के संदर्भ में पेंशन अदालत मार्च 2022 के तृतीय सप्ताह में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजन तिथि शीघ्र ही सूचित की जाएगी।

With reference to Pension and Pensioner' Welfare D.O. letter No. 1/39/2021-P&PSW(E) dt. 10.01.2022 & DAE O.M dt. 07.02.2022, Pension Adalat is scheduled to be conducted on the third week of March 2022 through virtual mode. DoP&PW will intimate the date shortly.

2. जिन पेंशनभोगियों/ परिवार पेंशनभोगियों की निम्नलिखित शिकायतें हैं, वे पेंशन अदालत में शिकायत के निपटान हेतु अपना आवेदन संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करें। (1) पेंशन/ परिवार पेंशन प्राप्त न होना (2) पेंशन/ परिवार पेंशन की कम राशि का भुगतान (3) पेंशन/ परिवार पेंशन में परिशोधन (4) सहायता राशि एवं अन्य पेंशन लाभ प्राप्त न होना (5) पीडीए द्वारा पेंशन का अंतरण न किया जाना आदि। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि समस्त समर्थक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें दिनांक 10.03.2022 तक प्रेषित कर दें।

Pensioners/Family Pensioners having grievances of (1) Non-receipt of Pension/Family Pension (2) Less payment of Pension/Family Pension (3) Revision of Pension/Family Pension (4) Non-receipt of Relief & other Pensionary benefit and (5) Non-transfer of Pension by the PDA etc., may submit their application in the enclosed format for disposal of grievances in the Pension Adalat. It is, therefore requested to furnish grievances on or before 10.03.2022 alongwith all supporting documents.

3. सभी व्यथित पेंशनभोगियों एवं परिवार पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे दिनांक 10.03.2022 तक अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर दें।

All aggrieved Pensioners and Family Pensioners are requested to represent their grievances on or before 10.03.2022.

4. पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी निर्धारित तिथि से पूर्व अपने आवेदन/ शिकायतें एवं समर्थक दस्तावेज (प्रथम एवं/अथवा बाद के पीपीओ की प्रतियां) admo3@dpsdae.gov.in पर ई-मेल करें। किसी भी प्रकार के सहयोग हेतु पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी स्थापना अनुभाग से दूरभाष संख्या 022-25487033/25487035 पर (10.00 बजे से 16.00 बजे के बीच) संपर्क कर सकते हैं।

Pensioners/Family Pensioners may submit their applications/grievances alongwith supporting documents (Copies of first and /or subsequent PPO(s)) prior to the stipulated date to e-mail ID No: admo3@dpsdae.gov.in. For any assistance, Pensioners/Family pensioners may contact Establishment Section on Telephone No. 022-25487033/25487035 (10.00 hrs - 16.00 hrs).

.....2/-

